(वाद संख्या–4660/17)

21.08.2019

श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि प्रसंगाधीन शेरघाटी थाना कांड संख्या–117/14, दिनांक–10.05.2014 में अनुसंधानोंपरान्त, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में गया जिला पुलिस बल के अनुसंधानकर्त्ता, पुलिस अवर निरीक्षक, ददन प्रसाद, द्वारा प्राथमिकी अभियुक्तों, (1) शमशाद खाँ (2) कमर जावेद खाँ (3) बाबर खाँ (4) अरमानुल्लाह खाँ (5) पाना खाँ की संलिप्तता को असत्य पाकर उन पांचो को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए तथा अप्राथमिकी से अभियुक्तों, (1) तौसिफ खाँ उर्फ पप्पु खाँ (2) सौहेल अहमद खाँ को ''फरार'' दर्शाते हुए, अप्राथमिकी अभियुक्त, सिकन्दर खाँ उर्फ मन्टु खाँ के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा–302/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं0–04/19, दिनांक–14.02.2019 समर्पित कर प्रसंगाधीन कांड का अन्वेषण बंद कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन कांड परिवादी, अमीरून नेसा के पति–बदरूद्दीन खाँ की गोली मारकर हत्या किये जाने से संबंधित है जिसके संबंध में पूर्व में परिवादी के पुत्र द्वारा पांच व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। परिवादी द्वारा आयोग को एक आवेदन देकर सूचित किया गया कि उसके पति की हत्या में उसके पुत्र द्वारा प्राथमिकी में उल्लेखित पांचो अभियुक्तों की संलिप्तता नहीं है बल्कि सिकन्दर खाँ वगैरह की संलिप्तता है जिसे पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त सत्य पाकर प्राथमिकी अभियुक्तों को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए तीन अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित कर दिया गया है।

फलतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक